Circular No -136-

From

The Chief Administrator,
H.S.A.M. Board,
Panchkula.

To

1. All Z.A's, Z.M.E.O's and DMEO's.,
   H.S.AM.Boardin the state

2. All the E.O cum Secretaries
   Market Committees in the state

ME-I-A-III-2016/50411-546 Dated: 08/07/16

Sub: - Amendment in H.A.P.M. General Rules 1962

Please find enclosed herewith the copy of notification No S.O 13/H.A.23/1961/S. 43/2016 Dated 23.05.2016 (English & Hindi) for immediate necessary compliance. The notification regarding amendment in HAPM General Rules 1962 already uploaded on the Boards web site www.hsamb.gov.in

Supdt. (M.E-I)
For Chief Administrator

Endst No M.E.I-1-III-2016/ 50547 Dated : 08/07/16

A copy of above is forwarded to Managing Director, H.R.D.F. Board, Chandigarh for information.

Supdt. (M.E-I)
For Chief Administrator

Regd. No. CHD/0093/2015–2017

Haryana Government Gazette

Published by Authority

© Govt. of Haryana

No. 22-2016] चण्डीगढ़, मंगलवार, दिनांक 31 मई, 2016
(10 ज्येष्ठ, 1938 शक)

विधायी परिशिष्ट

क्रमांक	विषय वस्तु	पृष्ठ
भाग–	अधिनियम	
	कुछ नहीं	
भाग– II	अध्यादेश	
	कुछ नहीं	
भाग- III	प्रत्यायोजित विधान	
	अधिसूचना संख्या का0आ0 13/ह0अ023/1961/धा043/2016, दिनांक 23 मई, 2016– पंजाब कृषि उपज मंडी (सामान्य) संशोधन नियम, 2016. (प्राधिकृत अंग्रेजी अनुवाद सहित)	127–162
भाग -IV	शुद्धि पर्ची, पुनः प्रकाशन तथा प्रतिस्थापन	
	कुछ नहीं	

Price : Rs. 5.00

भाग-III

हरियाणा सरकार

कृषि विभाग

अधिसूचना

दिनांक 23 मई, 2016

संख्या का. आ. 13/ह.अ. 23/1961/धा. 43/2016.—हरियाणा कृषि उपज मंडी अधिनियम, 1961 (1961 का पंजाब अधि नियम 23), की धारा 43 की उपधारा (2) के साथ पठित उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, हरियाणा के राज्यपाल, इसके द्वारा, पंजाब कृषि उपज मंडी (सामान्य) नियम, 1962, हरियाणा राज्यार्थ, को आगे संशोधित करने के लिए निम्न लिखित नियम बनाते है, अर्थात् :—

1. ये नियम पंजाब कृषि उपज मंडी (सामान्य) संशोधन नियम, 2016 कहे जा सकते हैं।

2. पंजाब कृषि उपज मंडी (सामान्य) नियम, 1962 (जिन्हें, इसमें, इसके बाद, उक्त नियम कहा गया है) में, "पंजाब" शब्द दीर्घ शीर्ष, संक्षिप्त नाम तथा जहाँ कभी भी आये, के स्थान पर "हरियाणा" शब्द प्रतिस्थापित किया जाएगा।

3. उक्त नियमों में, नियम 2 में, —

(i) खण्ड (6) के बाद, निम्नलिखित खण्ड रखा जाएगा, अर्थात् :—

"(6क) 'किसान उत्पादक संगठन' से अभिप्राय है, किसान सदस्यों की उपज के समुच्चयकर्ता की भूमिका का अभिनय करने वाला रजिस्टर्ड किसान उत्पादक संगठन जो कृषि उत्पादन में लगे अधिसूचित मंडी क्षेत्र के निवासी हैं ; " ;

(ii) उपखण्ड (12) के बाद, निम्नलिखित खण्ड रखा जाएगा, अर्थात् :—

"12(क) 'परिसर' से अभिप्राय हैं, मुख्य मण्डी प्रांगण/उप मण्डी प्रांगण में सामान्य प्लैटफार्म के सामने कृषि उपज के प्रदर्शन के लिए खुले स्थान सहित स्वतन्त्र भूतल दुकान ; " ;

(iii) खण्ड (15) में, "और" शब्द का लोप कर दिया जाएगा ;

(iv) खण्ड 16 में, अन्त में आने वाला "। " चिह्न के स्थान पर, " ; " चिह्न प्रतिस्थापित किया जाएगा ;

(v) खण्ड 16 के बाद, निम्नलिखित खण्ड जोड़े जाएंगे ,अर्थात् :—

"(17) 'व्यापारी' से अभिप्राय है, कोई व्यक्ति जो अधिसूचित कृषि उपज में व्यापार करता है;

(18) "थोक व्यवहारी" से अभिप्राय है, कोई व्यापारी जो मंडी में विक्रेता से कृषि उपज अधिकांश मात्रा में क्रय करता है तथा परचूनियों को बेचता है ।"।

4. उक्त नियमों में, नियम 16 क में, —

(i) उप नियम (1) के बाद, निम्नलिखित उप नियम रखा जाएगा, अर्थात् :—

"(1क) संविदा कृषि प्रायोजक किसी कृषि उपज, निष्कर्षण/उत्पादन की कृषि के लिए कोई करार नहीं करता है जिसको तत्समय प्रवृत राज्य या भारत संघ की किसी विधि के अधीन प्रतिषिद्ध किया गया है।" ;

(ii) उप–नियम (6) के स्थान पर, निम्नलिखित उप–नियम प्रतिस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :—

"(6) संविदा कृषि प्रायोजक तथा संविदा कृषि उत्पादक के बीच संविदा कृषि करार प्ररूप ग–1 में होगा तथा इसे दोनों पक्षों की उपस्थिति में सम्बन्धित जिला विपणन प्रवर्तन अधिकारी के पास रजिस्टर्ड करवाया जाएगा। सहमत दर/संविदा दर पूर्व वर्ष के न्यूनतम समर्थन कीमत से कम नहीं होगी । क्रेता प्रतिभूति के रूप में समिति जिसमें भूमि स्थित है, में राशि के लिए सहमत दर या न्यूनतम समर्थन कीमत; यदि दर पर सहमत नहीं हैं) या बैंक गारन्टी कृषि उपज की कुल कीमत के पांच प्रतिशत के बराबर राशि जमा करेगा । जहां कहीं कोई न्यूनतम समर्थन कीमत नहीं है तथा कोई भी सहमत दर नहीं है, तो प्रतिभूति की राशि करार के समय पर प्रचलित बाजार दर के पांच प्रतिशत की दर पर संगणित की जाएगी। प्रतिभूति अथवा बैंक गारन्टी करार के संतोषजनक निष्पादन की तिथि के बाद तीस दिन की अवधि के भीतर निर्मुक्त की जाएगी । सम्बन्धित जिला विपणन प्रवर्तन अधिकारी तीस दिन के भीतर आदेश पारित करेगा और प्रायोजक को संसूचित करेगा। यदि तीस दिन के भीतर आदेश पारित नही किए जाते तो वह इसके कारण अभिलिखित करेगा। संविदा कृषि

प्रायोजक संविदा कृषि की फसलों के लिए पर्याप्त बीमा व्यवस्था मुहैया करवाएगा। बीमा किस्त की लागत संविदा कृषि प्रायोजक और किसान द्वारा 60 : 40 के अनुपात में वहन की जाएगी। " ।

5. उक्त नियमों में, नियम 17 के स्थान पर, निम्नलिखित नियम प्रतिस्थापित किये जाएंगे, अर्थात् :–

"17. **व्यवहारी का लाईसैंस** – (1) उप नियम (2) में यथा तालिकाबद्ध प्रवर्ग के लिए धारा 10 के अधीन लाईसैंस प्राप्त करने का इच्छुक कोई व्यक्ति जिसकी अधिकारिता में वह अपना कारबार चलाना चाहता है, सचिव के माध्यम से मुख्य प्रशासक या इस निमित्त लिखित में उस द्वारा प्राधिकृत किसी अन्य अधिकारी को दोहरी प्रति में प्ररूप 'क' में आवेदन करेगा तथा सम्बन्धित मंडी समिति में "मंडी समिति निधि" के पक्ष में अपेक्षित लाईसैंस फीस/लाईसैंस की नवीकरण फीस तथा प्रतिभूति नकद में या बैंक डिमांड ड्राफ्ट या बैंक पे आर्डर या पोस्टल आर्डर द्वारा ऐसी मंडी समिति में जमा भी करेगा :

परन्तु यदि ,—

(i) लाईसैंस धारी एक जिले में पड़ने वाली एक से अधिक मंडी समिति में कारबार करने का इच्छुक है, तो वह आवेदन सम्बन्धित जिला विपणन प्रवर्तन अधिकारी को प्रस्तुत करेगा ;

(ii) लाईसैंसधारी एक जोन में पड़ने वाली एक से अधिक मंडी समिति में कारबार करने का इच्छुक है, तो वह सम्बन्धित आंचलिक विपणन प्रवर्तन अधिकारी को आवेदनपत्र प्रस्तुत करेगा ; और

(iii) लाईसैंसधारी एक जोन से अधिक में पड़ने वाली एक से अधिक मण्डी समितियों में या सम्पूर्ण राज्य में कारबार करने का इच्छुक है, तो आवेदन "विपणन विकास निधि" के पक्ष में डिमाण्ड ड्राफ्ट/पे आर्डर के रूप में लाईसैंस फीस/नवीकरण फीस तथा प्रतिभूति सहित मुख्य प्रशासक को प्रस्तुत करेगा :

परन्तु यह और कि एक लाईसैंस एक से अधिक मण्डी प्रांगण में संचालित करता है, तो कारबार परिसर के रूप में लाईसैंसधारी को हरियाणा राज्य कृषि विपणन बोर्ड (अचल सम्पत्ति की बिक्री) नियम, 2000 के उपबन्धों के अनुसार कारबार के मुख्य स्थान को ध्यान में रखते हुए दुकान प्लॉट अधिमानी आबंटन के लिए विचारा जाएगा :

परन्तु यह और कि कोई भी कच्चे आढ़तिए का लाईसैंसधारी, इस आधार पर कि उसके पास एक से अधिक मंडी प्रांगण में लाइसैंस है अथवा एक से अधिक मण्डी प्रांगण में कार्य करने का लाईसैंस है, सम्पूर्ण राज्य में आरक्षित कीमत पर एक से अधिक दुकान प्लॉट के आबंटन के लिए पात्र नहीं होगा ।

(2) इस नियम के अधीन जारी लाईसैंस के लिए लाईसैंस फीस/ लाईसैंस की नवीकरण फीस, प्रतिभूति या बैंक गारंटी, यदि कोई हो, निम्न अनुसार होगी :–

लाईसैंस का प्रवर्ग	प्रति वर्ष लाईसैंस फीस /नवीकरण फीस	प्रति तिमाही लाईसैंस फीस या उसका भाग	प्रतिभूति	बैंक गारंटी
(i)(क) 2.00 करोड़ रुपए या अधिक के वार्षिक टर्नओवर रखने वाले कृषि उपज के विक्रय, व्यापारी/ थोक व्यवहारी, कारखाना जिसमें क्रय, भण्डारण, पैकेजिंग, छटाई, ग्रेडिंग, ओटाई कारखाना, शैलर, आटा मिल, ऑयल, एक्सपेलर, दालमिल या प्रशीतन के लिए शीतागार शामिल है।	सम्पूर्ण राज्य के लिए 10,000/– या प्रतिजोन 2500/– या एक मंडी समिति के लिए 1,000/– रुपए ।	सम्पूर्ण राज्य के लिए 2500/–या प्रतिजोन 625/–रुपए या एक मंडी समिति के लिए 250/– रुपए।	शून्य	सम्पूर्ण राज्य के लिए 10.00 लाख रुपये या जोन के लिए 2.50 लाख रुपये या एक मंडी समिति के लिए 1.00 लाख रुपए।
(ख) जिसका वार्षिक टर्नओवर 12.00 लाख रुपए है किन्तु 2.00 करोड़ रुपये से अधिक नही है। व्यापारी/ थोक व्यवहारी, कारखाना जिसमें कृषि उपज के विक्रय, क्रय, भण्डारण, पैकेजिंग, छटाई, ग्रेडिंग, ओटाई कारखाना, शैलर, आटा मिल, तेल	सम्पूर्ण राज्य के लिए 10,000 रुपए या प्रतिजोन 2500/– रुपए या प्रति मंडी समिति 1000/– रुपए ।	सम्पूर्ण राज्य के लिए 2500/–या प्रतिजोन 625/– रुपए या प्रति मंडी समिति 250/– रुपए ।	सम्पूर्ण राज्य के लिए 50,000/– रुपए या प्रतिजोन के लिए 12,500/ रुपए या एक मंडी समिति के लिए 5000/–रुपए।	शून्य

	एक्सपेलर, दालमिल या प्रशीतन के लिए शीतागार शामिल है।				
(ii)	कृषि उपज के विक्रय ,क्रय या भण्डारण के लिए कमीशन एजैंट या कच्चा आढ़तियां ।	600/–रुपए	150/–रुपए	3000/–रुपए	शून्य
(iii)	अन्य व्यवहारियों जिसकी कृषि उपज की वार्षिक टर्नओवर दो लाख रुपए से अधिक है किन्तु बारह लाख रुपए से अधिक नहीं है ।	200/–रुपए	50/–रुपए	1000/–रुपए	शून्य

(3) लाईसैंस अधिकतम तीन वर्ष की अवधि के लिए दिया जाएगा / नवीकृत किया जाएगा, जो जारी करने की तिथि से आगामी मार्च के 31वें दिन को समाप्त होगी ।

(4) समिति का सचिव या सम्बन्धित जिला विपणन प्रवर्तन अधिकारी या आंचलिक विपणन प्रवर्तन अधिकारी, जैसी भी स्थिति हो, प्ररूप 'क' पर आवेदन की प्राप्ति पर, मुख्य प्रशासक या उस द्वारा इस निमित्त लिखित में, प्राधिकृत किन्हीं अन्य व्यक्तियों को आवेदन के प्रत्यय–पत्र का सत्यापन करने के बाद तीन दिन में, मामला भेजेगा तथा वह प्ररुप ख में लाईसैंस अस्वीकार कर सकता है या प्रदान कर सकता है । लाईसैंस उसमें वर्णित शर्तों के अध्यधीन होगा।

(5) इस नियम के अधीन जारी लाईसैंस का रिकार्ड प्ररूप 'ग' में उपनियम (1) में यथा विनिर्दिष्ट सम्बन्धित प्राधिकारी द्वारा अनुरक्षित किया जाएगा ।

(6) प्रतिभूति या बैंक गारंटी, सम्पूर्ण राज्य या एक मंडी समिति से अधिक के लिए जारी लाईसैंस की दशा में सम्बद्ध आंचलिक विपणन प्रवर्तन अधिकारी द्वारा या विशेष मंडी समिति के लिए लाईसैंस की दशा में सम्बद्ध द्वारा जारी समाशोधन प्रमाणपत्र की प्रस्तुति पर, कारबार की समाप्ति की तिथि से तीन मास के बाद जारी (रिलिज) की जाएगी।

(7) लाईसैंसधारी परिवर्तित प्रवर्ग के लाईसैंस के लिए सम्बन्धित लाईसैंस फीस, प्रतिभूति या बैंक गारंटी का भुगतान करते हुए किसी समय पर लाईसैंस के प्रवर्ग के परिवर्तन के लिए आवेदन कर सकता है।

1 क. **स्थल विनिमय के लिए लाईसैन्स** .– (1) धारा 8 ग के अधीन लाईसैन्स प्राप्त करने का इच्छुक व्यक्ति मुख्य प्रशासक इस निमित्त लिखित में उस द्वारा प्राधिकृत किसी अन्य व्यक्ति को प्ररूप क 1 (क) में, "विपणन विकास निधि" के पक्ष में बैंक गारंटी सहित डिमांड ड्राफ्ट या पे आर्डर या पोस्टल आर्डर के रूप में उपनियम (2) में यथा वर्णित लाईसैन्स फीस तथा प्रतिभूति सहित आवेदन करेगा। मुख्य प्रशासक या इस निमित्त लिखित में उस द्वारा प्राधिकृत कोई अन्य व्यक्ति आवेदन के प्रत्यय–पत्र के सत्यापन के बाद पांच वर्ष से अनधिक अवधि के लिए प्ररूप ख (क) में लाईसैन्स अस्वीकार कर सकता है या प्रदान कर सकता है। इस प्रकार प्रदान लाईसैन्स प्ररूप च च में आवेदन करने तथा फीस के भुगतान पर प्रत्येक समय पांच वर्ष की अवधि के लिए नवीकरण योग्य होगा। इस नियम के अधीन जारी लाईसैन्स का रिकोर्ड प्ररूप प्ररूप ग ग में बोर्ड द्वारा अनुरक्षित किया जाएगा ।

(2) इस नियम के अधीन जारी लाईसैन्स के लिए लाईसैन्स फीस, प्रतिभूति तथा बैंक गारंटी निम्न अनुसार होगी :–

तालिका

लाईसैन्स का प्रवर्ग	प्रति वर्ष लाईसैन्स फीस	प्रति वर्ष लाईसैन्स की नवीकरण फीस	प्रतिभूति या बैंक गारंटी
1	2	3	4
ई व्यापार के लिए स्थल विनिमय की स्थापना	50,000/–रुपये	50,000/–रुपये	5.00 लाख रुपये की प्रतिभूति या 10.00 लाख रुपये की बैंक गारंटी

परन्तु यह और कि स्थल विनिमय पर कार्यान्वित व्यापार की कुल मात्रा एक मास के दौरान दस करोड़ से अधिक है, तो लाईसैंसधारी मुख्य प्रशासक के पास बीस लाख रुपये की अपरिवर्तनीय सतत बैंक गांरटी जमा करेगा।

(3) लाईसैन्सधारी भण्डागार प्राप्ति प्रणाली द्वारा कृषि उपज वापसी को सुपुर्दगी के लिए प्रबन्ध करेगा। यह सुसंगठित तथा पूंजीकृत दलाली गृहों की प्रणाली रखेगा, जहाँ युक्तियुक्त पूँजी उपयुक्तता सहित सदस्य/दलाल भाग ले सकते हैं। लाईसैन्सधारी ऑनलाईन वास्तविक समय मूल्य तथा व्यापार सूचना प्रसार का प्रबन्ध करेगा। व्यापार से सम्बन्धित कोई सूचना बाजार में आनलाईन सांझी की जाएगी। यह प्रचालन तथा निर्णय करने में पारदर्शिता वाली होगी। स्थल विनिमय चलाने का प्रबन्धन, विश्वसनीय, प्रभावी तथा निष्पक्ष होगा तथा बाजार वस्तुओं का संचालन करने में अनुभव सहित भी होगी। स्थल विनिमय के स्वामित्व/प्रबन्धन तथा सदस्य/दलाल पृथक व्यक्ति/निकाय होंगे।

(4) लाईसैन्सधारी प्रमुख स्थानों पर आनलाईन व्यापार के लिए मंडी क्षेत्र में टर्मिनल व्यापार स्थापित करेगा, जो विक्रेताओं को आसानी से उपलब्ध हों।

(5) लाईसैन्सधारी मंडी क्षेत्र में, जिला, राज्य तथा राष्ट्रीय स्तर पर अधिसूचित कृषि उपज की वास्तविक समय कीमत तथा व्यापार से सम्बधित सूचना मुहैया करेगा तथा जहाँ तक सम्भव हो, मंडी समितियों के प्रागंण में इसकी अवस्थिति के क्षेत्र में स्थाई इलैक्ट्रोनिक कीमत प्रदर्शन बोर्ड मुहैया करवाएगा।

(6) लाईसैन्सधारी भाण्डागार, तौल, ग्रेडिंग तथा प्रमाणन तथा सफाई तथा पादप सफाई व्यवस्था के लिए प्रबन्ध करेगा।

(7) लाईसैन्सधारी क्रेताओं द्वारा केवल पूर्ण भुगतान के बाद विक्रेताओं द्वारा बेचे गए कृषि उत्पाद की सुपुर्दगी सुनिश्चित करेगा ।

(8) स्थल विनिमय के लाईसैन्सधारी को प्राईवेट मंडियों के लिए यथा अपेक्षित अवसंरचना के सृजन से छूट होगी। तथापि, इस नियम में यथा सूचित सुविधाएं लाईसैन्सधारी द्वारा उपलब्ध कराई जाएंगी।

(9) स्थल विनिमय के लाईसैन्सधारी कृषकों से अन्यथा उनके मंडी पदाधिकारियों से सदस्यता फीस, प्रतिभूति जमा, वार्षिक अंशदान, अतिरिक्त राशि तथा अन्य प्रभारों को प्रभारित करने से मुक्त होगा ।

(10). प्रत्यक्ष रूप से स्थल विनिमय के लाईसैन्सधारी कृषकों या उसके द्वारा यथा मान्यता प्राप्त निर्दिष्ट भाण्डागार प्राप्तियों के माध्यम से भौतिक सुपुर्दगी लेंगे ।

(11) स्थल विनिमय के लाईसैन्सधारी इसमें निष्पादित सभी व्यापार पर भुगतान गारंटी करेगा तथा इस प्रयोजन के लिए बन्दोबस्त गारंटी निधि का अनुरक्षण करेगा। विक्रेता, केता के भाग पर किसी चूक के होते हुए भी, स्थल पर ही पूर्ण भुगतान प्राप्त करेगा।

(12) क्रेता द्वारा उद्धृत कीमत मंडी फीस, अन्य आनुषंगिक प्रभार इत्यादि के सिवाए विक्रेता को वास्तविक देय होगं। भाण्डागारों में सुपुर्दगी के लिए परिवहन लागत तथा अन्य विविध लागतें क्रेता के खाते में से दी जाएंगी तथा क्रेता विक्रेता को केवल वास्तविक देय कीमत उद्धृत करेगा ।

(13) अति लघु द्वारक टर्मिनल (वी एस ए टी) की सदस्यता सभी कृषकों या उनके समूहों/सहकारी/कम्पनियों को शामिल करते हुए उपलब्ध करवाई जाएगी। अति लघु द्वारक टर्मिनल (वी एस ए टी) की सदस्यता फीस किसानों अथवा उनके समूहों/सहकारिता, यदि कोई हो, के सम्बन्ध में मुख्य प्रशासक के पूर्व अनुमोदन सहित लाईसैन्सधारी द्वारा नियत की जाएगी।

(14) स्थल विनिमय का लाईसैन्सधारी, केवल लाईसैन्स की प्राप्ति के बाद लाईसैन्स में विनिर्दिष्ट क्षेत्र या क्षेत्रों के किसानों से ग्रेडिंग या माक्रिंग, जैसी भी स्थिति हो, शुरू कर सकता है। तथापि, परियोजना के लागूकरण में असफलता के कारण लाईसैन्स के रद्दकरण की दशा में, लाईसैन्सधारी, लाईसैन्स के अधीन क्रय करना तुरन्त बन्द करेगा।

(15) मुख्य प्रशासक या उस द्वारा प्राधिकृत कोई अन्य अधिकारी जो सचिव की पदवी से नीचे का न हो, को स्थल विनिमय का निरीक्षण करने की शक्ति होगी।

(16) स्थल विनिमय का लाईसैन्सधारी, बोर्ड को मास के प्रत्येक सोमवार को मंडी फीस की समेकित वापसी तथा भुगतान सहित सम्बन्धित मंडी समिति को विक्रेताओं से किए गए क्रय की मासिक विवरणी मंडी क्षेत्र वार प्रस्तुत करेगा। वह यथा लागू संसाधित मालों से सम्बन्धित विक्रय विवरणी भी प्रस्तुत करेगा :

परन्तु कोई भी मण्डी फीस कृषि उपज के लिए राज्य के किसी मण्डी क्षेत्र में दूसरी बार के लिए उदगृहीत नहीं की जाएगी जिस पर मण्डी फीस स्थल विनिमय में विहित दर पर उदगृहीत या संगृहीत की गई है।

(17) स्थल विनिमय का लाईसैन्सधारी विक्रय के दिन को विक्रय पर्ची जारी करते हुए विक्रेताओं को विक्रय आगमों का भुगतान सुनिश्चित करेगा तथा केवल ऐसे भत्ते तथा कटौतियां अनुज्ञात करेगा, जो नियमों के अधीन अनुज्ञात हैं. मंडी प्रभार संग्रहण करेगा जो अधिसूचित मंडी क्षेत्र में लागू हैं, तथा ऐसे रजिस्टरों का अनुरक्षण करेगा तथा सम्बद्ध सचिव के माध्यम से बोर्ड को ऐसी विवरणी प्रस्तुत करेगा ।

(18) इस नियम के अधीन जारी किए गए लाईसैन्स का रिकार्ड प्ररूप ग में बोर्ड द्वारा अनुरक्षित किया जाएगा।" ।

6. उक्त नियमों में, नियम 18 में, –

(i) उप–नियम (1) में, खण्ड (ग) में, विद्यमान व्याख्या के स्थान पर, निम्नलिखित व्याख्या प्रतिस्थापित की जाएगी, अर्थात्:–

"व्याख्या.– इस खण्ड तथा उप–नियम (2) के खण्ड (ख) के प्रयोजनों के लिए, व्यक्ति, जिसकी कृषि उपज के विक्रय तथा क्रय की टर्नओवर वर्ष के दौरान बारह लाख रुपए अथवा किसी मास के दौरान एक लाख रुपए से अधिक नहीं होती, को लघु–दुकानदार के रूप में माना जाएगा।" ।

(ii) उप नियम 2 में खण्ड (घ) के बाद, निम्नलिखित खण्ड जोड़ा जाएगा, अर्थात् :–

"(ङ) बागवानी विभाग अथवा कृषि विभाग द्वारा प्रायोजित किसान उत्पादक संगठन तथा उनके अपने सदस्यों को, जो उपज को इक्ट्ठा करते या बेचते हैं, धारा 10 के उपबन्धों से छूट होगी।"

7 उक्त नियमों में, नियम 22 में, उप–नियम (1) में विद्यमान परन्तुक में,–

(i) अन्त में विद्यमान "।" चिह्न के स्थान पर, " ; " चिह्न प्रतिस्थापित किया जाएगा ;

(ii) निम्नलिखित परन्तुक रखा जाएगा, अर्थात् :–

परन्तु यह और कि प्रवर्ग– I के लाईसैन्सधारी को कच्चे आढ़तियां का लाईसैन्स नहीं दिया जाएगा ।" ।

8. उक्त नियमों में, नियम 28 में, उप–नियम (1) में "जो तम्बाकू" शब्दों के बाद, "लक्कड़" चिह्न तथा शब्द रखा जाएगा

9 उक्त नियमों में, नियम 29 में,—

(i) दो बार आने वाले उप–नियम (3) के स्थान पर, निम्नलिखित उप–नियम प्रतिस्थापित किया जाएगा, अर्थात्:–

"3 फीस, संव्यवहार की तिथि के सात दिन के भीतर समितियां ऐसे भुगतान को प्राप्त करने के लिए या सम्यक रूप से प्राधिकृत अधिकारी या अभिकरण को भुगतान की जाएगी।

3(क) मंडी फीस का संग्रहण, समिति द्वारा यथा अधिकथित ऐसे निबन्धनों तथा शर्तों पर एक वर्ष के समय से अनधिक किसी अवधि के लिए, मुख्य प्रशासक के पूर्व अनुमोदन से समिति द्वारा किसी अभिकरण को पट्टे पर दिया जा सकता है या नीलाम किया जा सकता है। तथापि, ये अधिसूचित मंडी क्षेत्र में केवल फलों तथा सब्जियों के मामले में ही लागू होगी।

व्याख्या.–नियम 29 के उप–नियम (3) तथा नियम 31 के उप–नियम (1) में विनिर्दिष्ट सात दिनों की अवधि की संगणना करने में संव्यवहार का दिन शामिल किया जाएगा ।

टिप्पण–I :– किसी सीमा तक फीस का भुगतान सम्बद्ध समिति के लेखे में प्राधिकृत बैंक में लाईसैंसधारी द्वारा सम्बद्ध समिति की निधियों के पक्ष में या तो नकदी में या डिमांड ड्राफ्ट/पे आर्डर के माध्यम से या रियल टाईम ग्रॉस सेटलमेंट अर्थात् आनलाईन भुगतान के माध्यम से इस शर्त के अध्यधीन कि संग्रहण प्रभार, यदि कोई हो; लाईसैन्सधारी द्वारा वहन किए जाएंगे, जमा किए जाएंगे।

टिप्पण–II:– ऐसे मामलों में जहां अगणित कृषि उत्पाद बोर्ड या समिति, जैसी भी स्थिति हो, के अधिकारियों द्वारा पता लगाया जाता है, तो फीस तुरन्त भुगतान करनी होगी तथा सात दिनों के भीतर भुगतान के उपबन्ध ऐसे मामलों में लागू नहीं होंगे । "।

10 उक्त नियमों में, नियम 30 में,–

(i) उप–नियम (3) के स्थान पर, निम्नलिखित उप–नियम प्रतिस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :–

"(3) व्यवहारी जो किसी कृषि उपज मिशन, जिसके सम्बन्ध में मंडी फीस दूसरे अधिसूचित मंडी क्षेत्र में पहले ही भुगतान की गई है, पर उद्गृणीय मंडी फीस के भुगतान से छूट का दावा करता है, घोषणा करेगा तथा प्ररूप एल–1 में समिति को प्रमाणपत्र देगा, जहां फीस अधिसूचित मंडी क्षेत्र के भीतर कृषि उपज को लाने के चौदह दिन के भीतर पहले ही भुगतान कर दी गई है । प्ररूप एल–1 समिति द्वारा नियत भुगतान पर मंडी के सचिव द्वारा जारी सम्यक् रूप से सत्यापित बुकलैट रूप में चोहरी प्रति में तैयार किया जाएगा । इस उप–नियम के अधीन मंडी फीस से छूट का दावा करने वाले व्यवहारी की समिति को प्ररूप एल–1 की मूल प्रति भेजने की ड्यूटी होगी जिस मंडी क्षेत्र के भीतर कृषि उपज लाई गई है। दूसरी प्रति समिति के कार्यालय को भेजी जाएगी जिसके मंडी क्षेत्र में ऐसी कृषि उपज लाई गई थी, तथा तीसरी तथा चौथी प्रतियां क्रमशः व्यवहारी–क्रेता तथा व्यवहारी विक्रेता द्वारा रखी जाएंगी तथा उसे मंडी फीस के सम्बन्ध में अनुरक्षित उनके लेखों के भाग रूप में रखा जाएगा । सचिव को विहित चौदह दिन के भीतर प्ररूप एल–1 प्रस्तुत करने के लिए व्यवहारियों हेतु अनिवार्य होगा, जिसमें असफल होने पर मंडी फीस के भुगतान में कोई भी छूट नही दी जाएगी।

(ii) उप–नियम (5) में, विद्यमान परन्तुक के स्थान पर, निम्नलिखित परन्तुक प्रतिस्थापित किये जाएंगे, अर्थात् :–

"परन्तु व्यवहारी जो प्रसंस्करण हेतु लाई गई किसी कृषि उपज पर उद्ग्रहणीय फीस के भुगतान से छूट का दावा करता है, घोषणा करेगा तथा समिति के सचिव द्वारा सम्यक् रूप से सत्यापित प्ररूप एल–2 में समिति को प्रमाणपत्र देगा जहां फीस अधिसूचित मंडी क्षेत्र के भीतर कृषि उपज को लाने के चौदह दिन के भीतर पहले ही भुगतान की गई है तथा उप–नियम (2) के उपबन्ध का अनुपालन किया गया है :

परन्तु यह और कि राज्य के बाहर से प्रसंस्करण के लिए लाई गई कृषि उपज पर दूसरी बार मंडी फीस के भुगतान से कोई छूट नहीं दी जाएगी यदि व्यवहारी/लाईसैन्सधारी द्वारा चौदह दिन के भीतर प्ररूप एल–II प्रस्तुत नहीं किया जाता है।

(iii) उप–नियम (6) के बाद, निम्नलिखित उप–नियम जोड़ा जाएगा, अर्थात्:–

"(7) कोई भी मंडी फीस फलों तथा सब्जियों पर उद्गृहीत नहीं की जाएगी जिसके सम्बन्ध में मंडी फीस राज्य के भीतर किसी मंडी में पहले ही भुगतान की गई है :

परन्तु क्रय बिल, परिवहन से सम्बन्धित दस्तावेजों सहित राज्य के भीतर किसी मंडी में मंडी फीस का भुगतान करने का सबूत सम्बद्ध समिति के व्यवहारी द्वारा प्रस्तुत किया गया है जिस मंडी क्षेत्र के भीतर कृषि उपज उसको उतारने से पूर्व लाई गई है । यदि कोई भी ऐसा क्रय बिल, परिवहन से सम्बन्धित दस्तावेज कृषि उपज को उतारने से पूर्व सम्बद्ध समिति के कार्यालय में प्रस्तुत नहीं किया जाता है, तो छूट के लिए कोई भी दावा ग्रहण नहीं किया जाएगा।"

(8) राज्य के भीतर या राज्य के बाहर से जॉब कार्य के लिए लाई गई कृषि उपज तथा जिसके लिए मण्डी फीस पहले ही दे दी गई है, राज्य में या राज्य के बाहर किसी मण्डी समिति में पहले ही भुगतान सीमा तक मण्डी फीस के भुगतान से छूट होगी। तथापि, मण्डी फीस की दरों का अन्तर, यदि कोई हो, भुगतानयोग्य होगा :

परन्तु व्यवहारी जो जॉब कार्य के लिए लाई गई किसी कृषि उपज पर पहले ही भुगतान की गई मण्डी फीस के लिए ऐसे जमा के दावे करता है, तो वह इस सम्बन्ध में घोषणा करेगा तथा समिति के सचिव द्वारा सम्यक् रूप से सत्यापित प्ररूप एल–II में समिति को प्रमाण–पत्र देगा जहां फीस अधिसूचित मण्डी क्षेत्र के भीतर कृषि उपज लाने के चौदह दिन के भीतर पहले ही भुगतान किया गया है तथा इसके अतिरिक्त उप–नियम (2) के उपबन्धों का अनुपालन करेगा :

परन्तु यह और कि राज्य के बाहर से जॉब कार्य के लिए लाई गई किसी कृषि उपज पर दूसरी बार मण्डी फीस के भुगतान से कोई छूट नहीं होगी यदि प्ररूप एल–II व्यवहारी/लाईसैंसधारी द्वारा चौदह दिन के भीतर प्रस्तुत नहीं की गई हैं।"

11 उक्त नियमों में, विद्यमान प्ररूप क, ख तथा ग के स्थान पर, निम्नलिखित प्ररूप प्रतिस्थापित किए जाएंगे, अर्थात् :–

"प्ररूप क

[देखिए नियम 17 (1)]

धारा 10 के अधीन लाईसैंस प्रदान करने के लिए आवेदन

सेवा में,

मुख्य प्रशासक,
हरियाणा राज्य कृषि विपणन बोर्ड,
सचिव, हरियाणा राज्य कृषि विपणन बोर्ड,
पचकूला या कार्यकारी अधिकारी एवं सचिव, सम्बद्ध मंडी समिति,
जैसी भी स्थिति हो, के माध्यम से ।

श्रीमान जी,

मेरे कारोबार के ब्यौरे नीचे दिए गए हैं :–

1	पूरे पते सहित आवेदक का नाम	
i	आधार सख्या (जहां कहीं लागू हो)	
ii	पैन नम्बर	
iii	मोबाईल नम्बर	
iv	ई–मेल पता	
2	अधिसूचित मंडी क्षेत्र या विहित जोन या सम्पूर्ण राज्य के लिए जिसमें आवेदक कारबार करना चाहता है ।	
3	कारबार का स्थान जिसके लिए लाईसैंस के लिए आवेदन किया गया है (भवन का नाम या नम्बर तथा गली का नाम या नम्बर या परिसरों को पहचान के लिए पर्याप्त अन्य विवरण दें) (प्रवर्ग II के लाईसैन्स हेतू अर्थात् कच्चा आढ़तियां/कमीशन एजेंट के लिए परिसर का अधिसूचित मंडी प्रांगण में होना चाहिए)।	
4	यदि आवेदक कोई फर्म है, क्या यह हिन्दू संयुक्त परिवार फर्म या अन्यथा गठित है तथा क्या यह रजिस्टर्ड की गई है या नहीं ?	
5	यदि आवेदक कोई फर्म है, तो सभी व्यक्तियों के नाम दें जिनसे फर्म गठित की गई है ।	

क्रम संख्या	नाम	पिता/पति का नाम	पूरा पता
6	फर्म के प्रबन्धक मालिक या प्रबन्धक का नाम		
	आधार नम्बर		
7	नाम तथा किस्म जिसके अधीन आवेदक काम करेगा।		
8	क्या आवेदक, या जहां आवेदक कोई फर्म है, तो क्या उसका कोई सदस्य है, एकल या किसी अन्य के सहयोग से बनी है, को राज्य के किसी मंडी क्षेत्र में किसी व्यवहारी को लाईसैंस दिया गया है तथा क्या ऐसा लाईसैंस निलम्बित या रद्द किया गया है? यदि ऐसा है, तो कब, किस अवधि के लिए तथा किस कारण के लिए ?		

8 आवेदित किए गए लाईसैंस का प्रवर्ग :–

1. (क) जिसमें 2.00 करोड़ रुपए या से अधिक का वार्षिक टर्नओवर वाले व्यापारी/थोक व्यवहारी, कारखाना कृषि उपज के विक्रय, क्रय, भण्डारण, पैकेजिंग, छंटाई, ग्रेडिंग, ओटाई कारखाने, शैलर, आटा मिल, तेल एक्सपेलर, दाल मिल/या प्रशीतन के लिए शीतागार शामिल हैं ।

(ख) जिसकी वार्षिक टर्नओवर/कुल ब्रिकी 12.00 लाख रुपये है किन्तु 2.00 करोड़ रुपये से अधिक नहीं है। व्यापारी/थोक व्यवहारी, कारखाना जिसमें कृषि उपज के विक्रय, क्रय, भण्डारण, पैकेजिंग, छंटाई, ग्रेडिंग, ओटाई कारखाना, शैलर, आटा मिल, तेल एक्सपेलर, दाल मिल/या प्रशीतन शीतागार के लिए शामिल है।

2. कृषि उपज के विक्रय, क्रय या भण्डारण के लिए कमीशन एजैंट या कच्चा आढ़तिया ।

3. अन्य व्यवहारी जिसकी कृषि उपज का वार्षिक टर्नओवर दो लाख रुपये से अधिक है किन्तु बारह लाख रुपये से अधिक नहीं हैं ।

प्रमाणित किया जाता है कि आवेदन में निर्दिष्ट तथ्य मेरी सर्वोतम जानकारी के अनुसार सत्य हैं, मैं हरियाणा कृषि उपज मंडी अधिनियम, 1961 तथा इसके अधीन बनाए गए नियमों तथा उपविधियों के उपबन्धों का पालन करने को मानता हूं।

मैं अपने कर्मचारियों के सभी कार्यों के लिए जिम्मेवार हूँगा। यह अनुरोध किया जाता है कि हरियाणा कृषि उपज मंडी अधिनियम, 1961 की धारा 10 के अधीन लाईसैंस प्रदान करने की कृपा करें ।

आवेदक के हस्ताक्षर ।

प्ररूप ख

[देखिए नियम 17 (4)]

धारा 10 के अधीन लाईसैंस

यह लाईसैंस इसके नीचे विहित शर्तों के अध्यधीन मंडी समिति या जोन या सम्पूर्ण राज्य ..... के अधिसूचित मंडी क्षेत्र के लिए मैसर्ज ..... को प्रदान किया जाता है :–

1	लाईसैंस की क्रम संख्या ।	
2	प्रतिशतता सहित फर्म के प्रबन्धक मालिक या प्रबन्धक का नाम।	
3	तिथि जिससे लाईसैंस प्रभावी है	
4	तिथि जिसको लाईसैंस समाप्त होगा।	
5	प्रदान किए गए लाईसैंस के प्रवर्ग	(i) (क) 2.00 करोड़ रुपए या से अधिक की वार्षिक टर्नओवर रखने वाले व्यापारी/थोक व्यवहारी, कारखाना जिसमें कृषि उपज विक्रय, क्रय, भण्डारण, पैकेजिंग, छंटाई, ग्रेडिंग, ओटाई कारखाने, शैलर, आटा मिल, तेल एक्सपेलर, दाल मिल/या प्रशीतन के लिए शीतागार शामिल हैं। या (ख) जिसकी वार्षिक टर्नओवर/कुल बिक्री 12.00 लाख रुपये है किन्तु 2.00 करोड़ रुपये से अधिक नहीं है व्यापारी/थोक व्यवहारी, कारखाना जिसमें कृषि उपज के विक्रय, क्रय, भण्डारण, पैकेजिंग, छंटाई, ग्रेडिंग, ओटाई कारखाना, शैलर, आटा मिल, तेल एक्सपेलर, दाल मिल या प्रशीतन के लिए शीतागार शामिल है। या (ii) कृषि उपज के विक्रय, क्रय या भण्डारण के लिए कमीशन एजैंट या कच्चा आढ़तिया या (iii) अन्य व्यवहारी जिसकी कृषि उपज की वार्षिक टर्नओवर दो लाख रुपये से अधिक है किन्तु बारह लाख रुपये से अधिक नहीं है ।
6	मंडी समिति या विहित जोन या सम्पूर्ण राज्य का अधिसूचित मंडी क्षेत्र जिसमें लाईसैंस वैध है ।	
7	कारबार का स्थान	

स्थान

दिनांक :

मुख्य प्रशासक,

हरियाणा राज्य कृषि विपणन बोर्ड।

लाईसैंस की शर्तें :–

1 लाईसैंसधारी, हरियाणा कृषि उपज मंडी अधिनियम, 1961 तथा इसके अधीन बनाए गए नियमों तथा उप–विधियों तथा समय–समय पर जारी हिदायतों का अनुपालन करेगा।

2 वह अधिनियम, नियमों तथा उप–विधियों के किन्हीं उपबन्धों का अपवंचन या अतिलंघन की अनुमति नहीं करेगा और वह किसी अपवंचन या उल्लंघन जो उसकी जानकारी में आता है, लिखित में मंडी समिति को सूचित करेगा ।

3. वह मांग करने पर बोर्ड के मुख्य प्रशासक या इस निमित्त उस द्वारा प्राधिकृत किसी अन्य अधिकारी या मंडी समिति के अध्यक्ष को इस सम्बन्ध में लाईसैंसधारी को दी जाने वाली रसीद के विरुद्ध अपना लाईसैंस समर्पित करेगा।
4. वह अपना कारबार निष्कपट व्यवहार के सिद्धान्तों के अनुसार ईमानदारी से तथा उचित रूप से करेगा ।
5. वह अपना लाईसैंस अपने कारबार परिसरों के सहजदृश्य स्थान पर प्रदर्शित करेगा ।
6. वह अपने कारबार परिसरों को कृषि उपज के भण्डारण के लिए साफ तथा उपयुक्त स्थिति में रखेगा ।
7. वह किसी अन्य लाईसैंसधारी का बॉयकाट नहीं करेगा या बॉयकाट करने के लिए प्रोत्साहित नहीं करेगा ।
8. वह ऐसी गतिविधियों तथा व्यवसाय में आशक्त नही होगा, जो मंडी के व्यापार तथा उचित कृत्य करने के हित के लिए हानिकारक हैं ।
9. वह किसी लाईसैन्सधारी दलाल, तोलकार, मापक, पर्यवेक्षक या पलेदार को अपनी सेवा में नहीं लेगा या बनाए नहीं रखेगा ।
10. वह विक्रय या भण्डारण के लिए अपनी दुकान में लाई गई कृषि उपज की सुरक्षित अभिरक्षा तथा संरक्षण के लिए जिम्मेवार होगा ।
11. वह प्रतियोगिता विलोपन करने के लिए अन्य क्रेता के साथ संघ या संगठन नही बनाएगा या विक्रेता को उसकी उपज के उचित मूल्य से वंचित करने के लिए कोई ऐसा प्रयास नहीं करेगा ।
12. वह लाईसैंस की समाप्ति या शीघ्रतम समाप्ति पर उसे समिति को समर्पित करेगा ।
13. वह, जब मंडी समिति या इस द्वारा प्राधिकृत किसी अन्य अधिकारी द्वारा अधिनियम के अधीन कृषि उपज के विक्रय तथा क्रय से सम्बन्धित अपने कारबार से सम्बन्धित मामलों की सही सूचना प्रस्तुत करेगा ।
14. प्रतिभूति लाईसैंस प्राधिकारी द्वारा भागतः या पूर्णतः जब्त किए जाने के लिए दायी होगी यदि लाईसैंसधारी लाईसैंस की किसी शर्त की उल्लंघना करता है।

प्ररूप ग

[देखिए नियम 17 (5) तथा 19 (3)]

धारा 10/13 के अधीन जारी लाईसैंसों का रजिस्टर

क्रम संख्या	विवरण	
	अधिसूचित मंडी क्षेत्र	
2	फर्म का नाम	
3	परिसरों का पता	
4	प्रबंधक मालिक का नाम	
5	लाईसैंस नम्बर	
6	लाईसैंस का स्वरूप	
7	हिस्सेदार का नाम	

क्रम संख्या	नाम	पिता का नाम	पता

1	2	3	4	5	6	7
इन्द्राज की तिथि	तिथि जिससे लाईसैंस प्रभावी है	तिथि जिसको लाईसैंस समाप्ति होता है	प्राप्त लाईसैंस फीस	रसीद नम्बर और तिथि	जारीकर्ता प्राधिकारी के हस्ताक्षर और पद नाम	टिप्पणी

प्ररूप क 1 (क)

[देखिए नियम 17 क (1)]

स्थल विनिमय के लिए लाईसैंस देने हेतु आवेदन

सेवा में

मुख्य प्रशासक,
हरियाणा राज्य कृषि विपणन बोर्ड,
पंचकूला।

मैं/हम/(नाम) ..... (पता) .....

(दूरभाष नम्बर) ..... आधार नम्बर ..... ई–मेल पता .....

राज्य में निम्नलिखित अधिसूचित कृषि उपज ..... हेतु ई–व्यापार के लिए स्थल विनिमय के लिए लाईसैंस देने हेतू आवेदन करता हूं/करते हैं। यथा अपेक्षित आवश्यक दस्तावेज संलग्न किए जा रहे हैं। ..... उपरोक्त वर्णित लाईसैंस प्राप्त करने के लिए नियमों के अनुसार ..... रुपये की अवश्यक लाईसैंस फीस भुगतान करने के लिए तैयार हूं/है तथा इच्छुक हूं/हैं। आपसे मुझे लाईसैंस देने के लिए अनुरोध करता हू/करते हैं।

आपका शुभचिन्तक,

आवेदक के हस्ताक्षर

इस आवेदन के साथ प्रस्तुत दस्तावेज :–

(i) कम्पनी, सहकारी सोसाइटी, न्यास, निगम, भागीदारी इत्यादि के सम्बन्ध में संस्थापन या रजिस्ट्रेशन का प्रमाणपत्र।
(ii) संगम ज्ञापन या संगम अनुच्छेद।
(iii) सभी निदेशकों तथा स्वामियों तथा भागीदारों, इत्यादि के नाम तथा पता तथा टेलीफोन नम्बर।
(iv) लाईसैंस फीस भुगतान करने के समर्थन में रसीद।
(v) प्रचालन तथा कार्य मार्गदर्शन जैसे कि स्थल विनिमय कैसे चलाया जाएगा या संचालित किया जाएगा।
(vi) वचनबद्धता शपथपत्र कि आवेदक अधिनियम तथा इसके आधीन बनाए गए नियमों के सभी उपबन्धों का पालन करेगा तथा उल्लंघन की दशा में वह दण्डात्मक कारवाई के लिए दायी होगा जिसमें लाईसैंस का रद्दकरण भी शामिल हैं।
(vii) नियम 17 क (2) में यथा उपबन्धित बैंक गारंटी।
(viii) आयकर विवरणी।
(ix) सम्बद्ध प्राधिकारी द्वारा दी गई स्थाई मान्यता के पत्र की अधिप्रमाणित प्रति।

दिनांक

स्थान

आवेदक के हस्ताक्षर

प्ररूप ख (क)

[देखिए नियम 17 क (1)]

स्थल विनिमय के लिए लाईसैंस

निम्नलिखित शर्तों पर पंजाब कृषि उपज मंडी (सामान्य) नियम, 1962 के नियम 17 क के उपबन्धों में अध्यधीन ..... मंडी समिति के मंडी क्षेत्र में कृषि उपज के ई–व्यापार के लिए स्थल विनिमय हेतु ..... रुपये की फीस के भुगतान पर ..... (नाम तथा पता) ..... (दूरभाष नम्बर) ..... (जिसे, इसमें, इसके बाद लाईसैंसधारी के रूप में निर्दिष्ट किया गया है) को इसके द्वारा, लाईसैंस दिया गया है :–

1 लाईसैंसधारी, हरियाणा कृषि उपज मंडी अधिनियम, 1961 तथा नियमों के उपबन्धों तथा मुख्य प्रशासक के साथ लाईसैंसधारी द्वारा किए गए करार की शर्तों का पालन करेगा ।

2 यह लाईसैंस अन्तरणयोग्य नहीं है ।

3 यह लाईसैंस उक्त अधिनियम तथा इसके अधीन बनाए गए नियमों के उपबन्धों के अनुसार निलम्बित या रद्द किया जा सकता है यदि लाईसैंस धारक अधिनियम तथा नियमों के उपबन्धों के विरुद्ध कोई कार्य करता है या मंडी क्षेत्र में कृषि उपज के विपणन करने में जानबूझकर बाधा डालने, निलम्बित करने या रोकने के निश्चय से मंडी में अपने सामान्य कारबार चलाने से परहेज करता है ।

4 इस लाईसैंस के निलम्बन या रद्दकरण की दशा में, इसे तुरन्त मुख्य प्रशासक को समर्पित किया जाएगा।

5 लाईसैंसधारी मिलावट नहीं करेगा या किसी घोषित कृषि उपज की मिलावट नहीं करवाएगा ।

6 लाईसैंसधारी मंडी फीस के अपवंचन को रोकने में मुख्य प्रशासक की सहायता करेगा।

7 लाईसैंसधारी, मुख्य प्रशासक द्वारा लाईसैंस देने के बाद, पन्द्रह दिन की अवधि के भीतर लाईसैंसधारी के प्राधिकृत प्रतिनिधि के बारे में सूचना देगा जो उसकी ओर से जिम्मेवार होगा ।

8 लाईसैंसधारी मुख्य प्रशासक द्वारा अपेक्षित रीति में पुस्तकों, रजिस्टरों तथा अभिलेखों का अनुरक्षण करेगा तथा मुख्य प्रशासक या उस द्वारा प्राधिकृत व्यक्ति को निरीक्षण के लिए उन्हें उपलब्ध कराएगा ।

9 लाईसैंसधारी मुख्य प्रशासक को सूचना तथा विवरणी प्रस्तुत करेगा जो समय–समय पर उस द्वारा मांगी जाएं ।

10 लाईसैंसधारी, विक्रेता को इस प्रकार बेची गई कृषि उपज की कीमत उसी दिन भुगतान करना सुनिश्चित करेगा ।

11 लाईसैंसधारी किसी फीस की मांग या प्राप्त नहीं करेगा या उन प्रभारों से अन्यथा किसी ऐसे प्रभारों को वसूल नहीं करेगा जिनको वह अधिनियम या नियमों के उपबन्धों के अनुसार प्राप्त या वसूल करने के लिए हकदार हैं।

12 लाईसैंसधारी कोई व्यापार भत्ता नहीं देगा या वसूल नहीं करेगा (यह नियम 17 क के (ड) के नीचे द्वितीय परन्तुक से सम्बन्धित है)।

13 लाईसैंसधारी प्राधिकृत भार तथा माप मुहैया करेगा ।

14 लाईसैंसधारी अनुज्ञप्त तोलकार या मापकों तथा हैमलों को केवल बोर्ड/मंडी समिति द्वारा नियत दरों पर भुगतान करेगा।

15 लाईसैंसधारी कम्पनी के गठन में किसी परिवर्तन की मुख्य प्रशासक को सूचना देगा ।

16 लाईसैंसधारी हरियाणा कृषि उपज मंडी अधिनियम, 1961 की धारा 8 ग (8) के अधीन उपबन्धित रीति में अधिसूचित कृषि उपज के विपणन के सम्बन्ध में अपने सभी विवादों का हवाला देगा ।

17 लाईसैंसधारी हर रोज आगामी/स्थल कीमतों को दर्शाने के लिए मंडी में प्रमुख स्थान पर इलैक्ट्रोनिक इन्टर बोर्ड/टर्मिनल मुहैया करेगा ।

दिनांक .....

स्थान .....

मुख्य प्रशासक

प्ररूप च च

[देखिए नियम 17 क (1)]

स्थल विनिमय को लाईसैंस के नवीकरण के लिए आवेदन प्ररूप

संख्या

मुख्य प्रशासक,
हरियाणा राज्य कृषि विपणन बोर्ड,
पंचकूला।

श्रीमान जी,

मैं, मेरे लाईसैंस के नवीकरण के लिए अनुरोध करता हूं। आवश्यक ब्यौरे नीचे दिए गए हैं :–

स्थल विनिमय के ब्यौरे जिसके लिए लाईसैंस जारी किया गया :	
आवेदक का नाम (मंडी प्रांगण के स्थान के पूर्ण ब्यौरों सहित)	
लाईसैंस की संख्या	
तिथि जिसको लाईसैंस समाप्त होगा	
अवधि जिसके लिए नवीकरण अपेक्षित है	
भुगतान की गई फीस	रुपये
भुगतान की गई शास्ति , यदि कोई हो,	
क्या आवेदक (आवेदकों) या जहां आवेदक कोई फर्म है, उसका एकल कोई सदस्य या किसी अन्य निकाय के सहयोग से	
(क) किसी अन्य मंडी क्षेत्र में कोई लाईसैंस दिया गया है तथा उसका लाईसैंस निलम्बित या रद्द किया गया है। यदि ऐसा है, तो, कब, कहां, किस अवधि के लिए तथा किन कारणों के लिए ; या	
(ख) किसी नैतिक अधमता वाले अपराध का सिद्धदोषी है। यदि ऐसा है, तो दोषसिद्धि की तिथि ; या	
(ग) अनुन्मोचित दिवालिये के रूप में घोषित किया गया है।	
मंडी समिति/बोर्ड के देयों का भुगतान न करने का चूककर्ता है।	

मैं नवीकरण फीस के मद्दे डिमाण्ड ड्राफ्ट संख्या ..... दिनांक .....रुपये की राशि .....संलग्न कर रहा हूं।

उपरोक्त दिए गए ब्यौरे मेरी सर्वोतम जानकारी तथा विश्वास के अनुसार सत्य तथा सही है।

दिनांक

आवेदक के हस्ताक्षर

लाईसैंस का नवीकरण

नवीकरण की तिथि	अवधि जिसके लिए नवीकृत किया गया है।	तिथि सहित मुख्य प्रशासक के हस्ताक्षर

प्ररूप ग ग

[देखिए नियम 17 क (1)]

स्थल विनिमय को लाईसैंस धारक का रजिस्टर

क्रम संख्या	आवेदक का नाम तथा पता	लाईसैंस के लिए आवेदन की प्राप्ति की तिथि	लाईसैंस की किस्म तथा जारी करने की तिथि	मंडी क्षेत्र (क्षेत्रों)	लाईसैंस फीस (रुपये)	लाईसैंस संख्या तथा तिथि	लाईसैंस की वैधता	टिप्पणियां तथा हस्ताक्षर
1	2	3	4	5	6	7	8	9

12 उक्त नियमों में प्ररूप झ, ञ तथा ट के स्थान पर, क्रमशः निम्नलिखित प्ररूप प्रतिस्थापित किये जाएंगे, अर्थात्:–

प्ररूप झ

[देखिए नियम 24 (12) तथा 24 (13)]

कच्चे आढ़तिए के बिल

पुस्तक संख्या .....

मंडी समिति का नाम : ..... क्रम संख्या .....

कच्चे आढ़तिए का नाम : .....

क्रेता का नाम : ..... दिनांक .....

वस्तु का नाम	भार (क्विंटल किलोग्राम में)	दर (प्रति क्विंटल रुपए की दर)	कुल राशि	मंडी प्रभार	बोनस	कुल जोड़
		रुपये	रुपये	रुपये	रुपये	रुपये
				कमीशन.....		
				दलाली.....		
				पल्लेदारी.....		
				भराई तथा सिलाई प्रभार		
				अन्य प्रभार.....		

कच्चे आढ़तिए के हस्ताक्षर

प्ररूप ञ

[देखिए नियम 24 (14)]

विक्रेता के लिए विक्रय वाउचर

पुस्तक संख्या ....

मंडी समिति का नाम : ....

[illegible] की तिथि : .... क्रम संख्या ....

कच्चे आढ़तिए का नाम : ....

विक्रेता का पता : ....

विक्रेता का नाम : ....

वस्तु का नाम	क्रेता का नाम	भार (क्विंटल किलोग्राम में)	दर (प्रति क्विंटल रुपए की दर)	आनुषंगिक प्रभार	बोनस	भुगतान की गई कुल राशि
			रुपए	रुपए	रुपए	रुपए..........

टिप्पण :— जहां कृषि उपज, सब्जी या फल होने के कारण, वितरित की गई है, तो वहां 'क्रेता के नाम' से सम्बन्धित खाना 2 में भरना आवश्यक नहीं होगा ।

बांये अंगूठे का निशान (एल टी आई)/
विक्रेता या उसके अभिकर्ता के हस्ताक्षर ।

कच्चे आढ़तिए के हस्ताक्षर

प्ररूप ड

[देखिए नियम 31 (1)]

प्रतिदिन लाई गई, बेची गई या प्रसंस्करण के लिए लाई गई कृषि उपज का विवरण

मंडी समिति का नाम...

दिनांक...

व्यवहारी का नाम...

रसीद संख्या सहित भुगतान की गई मंडी फीस की पिछली तिथि :...

लाईसेंस संख्या...

खरीदी गई

संव्यवहार की तिथि	वस्तु का नाम	विक्रेता का नाम जिससे खरीदी गई	भार (क्विंटल किलोग्राम में)	दर (रुपये प्रति क्विंटल की दर से)	मूल्य	क्या फीस उद्ग्रहणीय है, यदि नहीं तो क्यों ?	उद्ग्रहणीय फीस की राशि	क्रेता का नाम जिसको बेची गई है	भार (क्विंटल किलोग्राम में)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

बेची गई

दर (रुपये प्रति क्विंटल)	मूल्य	क्या फीस उद्ग्रहणीय है, यदि नही तो क्यों ?	उद्ग्रहणीय फीस की राशि	बोनस	टिप्पणियां
11	12	13	14	15	16

कुल.................................

टिप्पण :– केवल सब्जी या फल में संव्यवहार करने वाले व्यवहारियों की दशा में, 'क्रेता का नाम' जिसको बेची गई है से सम्बन्धित खाना 7 भरना आवश्यक नहीं होगा।

व्यापारी के हस्ताक्षर "।

वी.एस. कुन्डू,
अपर मुख्य सचिव, हरियाणा सरकार,
कृषि विभाग।